न्यायाधीश जे. वी. गुप्ता के समक्ष

तेज राम-याचिकाकर्ता

बनाम

अमर सिंह -उत्तरदाता।

सिविल संशोधन सं 1245 सन् 1984

15 अक्टूबर, 1985

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5)-धारा 145-वाद। घोषित कृषि भूमि के कब्जे के लिए-निर्णय देनदार द्वारा अपील-डिक्री का निष्पादन अपने लाभ की प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर रोक लगा-अपील बाद में खारिज कर दी गई-अपने लाभ से वसूली-निर्णय-देनदार के लिए प्रतिभूति खड़े व्यक्ति-क्या उस राशि के लिए उत्तरदायी है जिसके लिए वे प्रतिभूति थे।

अभिनिर्धारित किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 145 के पठन से यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जिसने उसके विरुद्ध प्रतिभूति प्रस्तुत की है या गारंटी दी है, उसे उसी रीति से निष्पादित किया जा सकता है जैसा कि फरमानों के निष्पादन के लिए उपबंध किया गया है। बेशक, उक्त व्यक्ति उस राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे जिसके लिए वे प्रतिभू थे। यदि डिक्री धारक उस राशि से अधिक का दावा करता है, तो उसे निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा और निर्धारण के बाद, उससे अधिक की राशि, यदि कोई हो, निर्णय-देनदार से वसूल की जाएगी। प्रतिभूति बांड को नए मुकदमे का सहारा लिए बिना निष्पादन कार्यवाही में निष्पादित किया जा सकता था।

धारा 115 C.P.C के तहत याचिका। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 227, श्री पी. पी. छाबड़ा, उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, कुरुक्षेत्र, दिनांक 8 फरवरी, 1984 के न्यायालय के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका को खारिज करते हुए।

याचिकाकर्ता की ओर से सुरेश अंबा, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता वी. के. जैन।

आदेश

न्यायाधीश जे. वी. गुप्ता

(1) इस याचिका को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता तेज राम को 15 जनवरी, 1969 को कृषि भूमि पर कब्जा करने का आदेश मिला था। उन्होंने छूट राशि जमा की और सूट की जमीन पर कब्जा करने की मांग की। विक्रेता ने एक अपील दायर की और उसके निष्कासन पर इस शर्त पर रोक लगा दी गई कि उसे रुपये की राशि में प्रतिभूति प्रदान करने की आवश्यकता थी। 5, 000। उक्त प्रतिभूति को विधिवत प्रस्तुत किया गया था और अपील को अंततः 27 फरवरी, 1971 को खारिज कर दिया गया था। विक्रेता ने तब दूसरी अपील को प्राथमिकता दी उच्च न्यायालय में और वहां भी उन्हें 2 करोड़ रुपये की राशि में दूसरी अपील के लंबित रहने की अवधि के लिए अपने लाभ के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत करने संबंधी डिक्री के निष्पादन के विरुद्ध एक स्थगन आदेश प्राप्त हुआ। 10, 000।

अंततः 18 नवंबर, 1981 को उच्च न्यायालय में दूसरी अपील खारिज कर दी गई। निर्णय-देनदार ने उच्चतम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन असफल रहा। वादी को डिक्री के निष्पादन में वाद भूमि का कब्जा मिल गया। फिर उन्होंने रुपये की राशि की वसूली के लिए एक आवेदन दायर किया। 25, 000 उस अवधि के लिए अतिरिक्त लाभ के रूप में जिसके लिए उन्हें कब्जा नहीं दिया गया था। इस आवेदन को निर्णय-देनदार द्वारा चुनौती दी गई थी।
संयोग से दोनों प्रतिभूओं को उक्त आवेदन का समकक्ष नहीं बनाया गया था। फैसले-देनदार की ओर से दायर जवाब में, अदालत के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती दी गई थी। निष्पादन न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित विशिष्ट राशि के लिए कोई विशिष्ट डिक्री नहीं है, या जब तक कि उस प्रभाव का आदेश नहीं है, तब तक निष्पादन न्यायालय आवेदन को मंजूरी नहीं दे सकता है। इससे असंतुष्ट होकर, डिक्री धारक ने इस न्यायालय में यह याचिका दायर की।

(2) इस याचिका में तय किया जाने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या वे व्यक्ति जो दो अदालतों i.e में निर्णय-देनदार के लिए जमानत पर खड़े थे। निचली अपीलीय अदालत में, जैसा कि इस अदालत में है, वह उस राशि का भुगतान करने के लिए दायी है जिसके लिए वे प्रतिभू थे या नहीं। यह मामला नौरंग सिंह बनाम तेजा सिंह और अन्य मामलों में इस अदालत के फैसले से समाप्त होता है।
(1). मोरमुगाओ बंदरगाह बनाम चौगुले एंड कंपनी प्रा. लि. के न्यासी मंडल में बंबई उच्च न्यायालय के हाल के निर्णय में। मोरमुगाओ हार्बर, गोवा
(2) में भी इसी विचार की पुष्टि की गई है। इसके अलावा, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 145 निम्नानुसार हैः- जहां किसी व्यक्ति ने प्रतिभूति प्रस्तुत की है या गारंटी दी है-
(क) किसी डिक्री या उसके किसी भाग के निष्पादन के लिए, या
(ख) किसी डिक्री के निष्पादन में ली गई किसी संपत्ति के पुनर्भुगतान के लिए, या
(ग) किसी वाद में या उसके परिणामस्वरूप किसी कार्यवाही में न्यायालय के आदेश के तहत किसी धन के भुगतान के लिए, या किसी व्यक्ति पर लगाई गई किसी शर्त की पूर्ति के लिए, डिक्री या आदेश को डिक्री के निष्पादन के लिए इसमें उपबंधित तरीके से निष्पादित किया जा सकता है, अर्थात्:-(i) यदि उसने स्वयं को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया है, तो उस सीमा तक; (ii) यदि उसने प्रतिभूति के रूप में कोई संपत्ति प्रस्तुत की है, तो प्रतिभूति की सीमा तक संपत्ति की बिक्री द्वारा; (iii) मामले के दोनों खंडों के तहत आता है और (ii) उन खंडों के तहत आता है।

और ऐसे व्यक्ति को धारा 47 के अर्थ के भीतर एक पक्षकार माना जाएगा।

बशर्ते कि ऐसी सूचना जो न्यायालय प्रत्येक मामले में सोचे। मुचलकेदार को पर्याप्त राशि दे दी गई है।

उक्त उपबंध को पढ़कर यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जिसने प्रतिभूति प्रदान की है या उसके विरुद्ध गारंटी, डिक्री दी है, उसे उसी तरीके से निष्पादित किया जा सकता है जैसा कि फरमानों के निष्पादन के लिए प्रावधान किया गया है। बेशक, उक्त व्यक्ति उस राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे जिसके लिए वे प्रतिभू थे। यदि डिक्री धारक उस राशि के ऊपर और उससे अधिक का दावा करता है, तो वही निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा और निर्धारण के बाद, राशि इसके अलावा, यदि कोई हो, तो निर्णय देनदार से वसूल किया जाएगा। निर्णय-देनदार द्वारा इसके विपरीत दृष्टिकोण

रखने वाले किसी भी निर्णय का उल्लेख नहीं किया गया है। नौरंग सिंह के मामले (उपर्युक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि प्रथम अपीलीय न्यायालय धारा 151, C.P.C. के अधीन अपनी अंतर्निहित अधिकारिता पर है। जब उसने डिक्री के निष्पादन में अपने बेदखल होने पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया था और उक्त प्रतिभूति बांड को मुचलकेदार द्वारा निष्पादित किया गया था, तो निर्णय-देनदार से अपने लाभ के भुगतान के लिए प्रतिभूति की मांग की गई थी, उसके अनुसरण में, फिर प्रतिभूति बांड को निष्पादन कार्यवाही में इसी तरह निष्पादित किया जा सकता था, बिना किसी नए मुकदमे का सहारा लिए।

(3) इन सब में!परिस्थितियां, यह याचिका सफल होती है, अंतिम आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और मामले को कानून के अनुसार निष्पादन आवेदन के साथ आगे बढ़ने के लिए निष्पादन अदालत में वापस भेज दिया जाता है। बेशक डिक्री धारक जमानतदारों को उनसे राशि का दावा करने के लिए निष्पादन आवेदन में पक्षकार के रूप में शामिल करेगा। पक्षों को 8 नवंबर, 1985 को निष्पादन अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। मामले के अभिलेखों को तुरंत वापस भेजा जाए।

(1) 1976 P.L.R। 96. &

(2) A.I.R. 1985 बॉम्बे 174,

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

अनुराग यादव
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
Trainee Judicial Officer
नारनौल, हरियाणा